दिनांक 27 मई, 2020 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक संख्या 2/2020 की कार्यवाही

उपस्थिति

1. प्रो० आलोक कुमार राय, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो० एस०के० शुक्ला, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय – सदस्य
3. श्री आलोक कुमार, अधिष्ठाता, ललित कला संकाय – सदस्य
4. प्रो० कविराज – सदस्य
5. प्रो० नन्द लाल भारती – सदस्य
6. प्रो० संगीता रानी – सदस्य
7. प्रो० मो० सिराजुद्दीन – सदस्य
8. प्रो० बी०के० शुक्ला – सदस्य
9. प्रो० विभूति राय – सदस्य
10. डॉ० अशोक कुमार सोनकर – सदस्य
11. डॉ० मो० तकी अली आब्दी – सदस्य
12. डॉ० अमृता श्रीवास्तव – सदस्य
13. डॉ विनीता प्रकाश – सदस्य
14. प्रो० एस०के० द्विवेदी – सदस्य
15. श्री अनिल सिंह – सदस्य
16. जस्टिस श्री वी०के० दीक्षित (से०नि०) – सदस्य
17. डॉ० विनोद कुमार सिंह, कुल सचिव – सचिव

बैठक में श्री संजय श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ भी उपस्थित रहें।

बैठक के आरम्भ में मा० सदस्य प्रो० एस०के० द्विवेदी द्वारा अध्यादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत बैठक की सूचना कार्यसूची के साथ प्राप्त होने एवं पूर्व की कार्य परिषद बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्य परिषद की बैठक 02 माह के अन्तराल में आहूत किये जाने हेतु अध्यक्ष/कुलपति तथा सचिव/कुलसचिव का आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात पदेन सचिव/कुलसचिव द्वारा नवागत कार्य परिषद सदस्यगणों क्रमशः प्रो० विभूति राय एवं प्रो० कविराज का स्वागत क़िया गया तथा कार्य परिषद की सदस्या प्रो० रीता एवं सदस्य प्रो० प्रवीण नागर का उनके कार्य काल समाप्त होने पर कार्य परिषद सदस्य के रूप में दिये गये सहयोग एवं योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कार्य परिषद के माननीय सदस्यों से परिचय एवं उनके स्वागतोपरान्त परिषद के पदेन अध्यक्ष/कुलपति की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विनिश्चय संख्या 01:–कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.03.2020 की कार्यवाही की पुष्टि करने पर विचार कर निर्णय लेना।

मा0 कार्य परिषद द्वारा दिनांक 20.03.2020 की कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 02:–कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.03.2020 के निर्णयों की कृत कार्यवाही की आख्या परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.03.2020 की कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या पर निम्नवत् आंशिक संशोधन करते हुए सदन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया:–

- **विनिश्चय संख्या 2 के खंड 1 के क्रम में प्रो0 सोमेश शुक्ला की अध्यक्षता में गठित समिति से प्रकरण पर समिति की रिर्पोट विलम्बतम एक माह की समयावधि में प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा अपेक्षा की गयी।**

- **विनिश्चय संख्या 11 के अर्न्तगत अतिथि गृह के किराये हेतु विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क अथवा छूट प्रदान किये जाने हेतु अध्यक्ष कार्य परिषद/कुलपति को सदन द्वारा अधिकृत किया गया।**

- **पूरक कार्य सूची विनिश्चय संख्या 2 पर डॉ0 रतन कुमार एसोसिऐट प्रोफेसर, ललित कला संकाय के प्रकरण पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही निस्तारित किये जाने की अपेक्षा की गयी।**

- **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तत्समय प्रस्तुत मदों के अर्न्तगत विनिश्चय संख्या 09 पर अंकित प्रो0 डी0पी0 तिवारी के प्रकरण पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अनुस्मारक पत्र प्रेषित कर प्रकरण की रिपोर्ट यथाशीघ्र प्राप्त कराने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।**

विनिश्चय संख्या 03:–लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में मात्र सत्र 2020 हेतु नवीन परीक्षा प्रक्रिया 2020 पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की मात्र सत्र 2019–2020 की परीक्षा हेतु नवीन परीक्षा प्रक्रिया के प्रारूप निर्धारण हेतु सदन द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष/कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 04:–लखनऊ विश्वविद्यालय में Institute of Advanced Molecular Genetics & Infectious Diseases के प्रस्ताव पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27.05.2020 की मुख्य कार्यसूची के विनिश्चय सं0 04 के अन्तर्गत संलग्न पृष्ठों के पृष्ठ सं0 35 को विलोपित करते हुये Institute of Advanced Molecular Genetics & Infectious Diseases के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 05:–लखनऊ विश्वविद्यालय के गणित एवं खगोलशास्त्र विभाग मे कार्यरत प्रो0 भास्कर श्रीवास्तव के अनुरोध पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेना।

प्रो0 भास्कर श्रीवास्तव, गणित एवं खगोलशास्त्र के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) के अनुरोध पर सदन द्वारा समग्र विचारोपरान्त प्रो0 भास्कर श्रीवास्तव, को दिनांक 01 सितम्बर 2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 06:–लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर में निर्माणाधीन Boys Hostel को Girls Hostel में परिवर्तित किये जाने पर विचार कर निर्णय लेना।

प्रकरण पर कुलसचिव/सचिव द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि कुलानुशासक एवं चीफ प्रोवोष्ट द्वारा यह आख्या प्राप्त हुई है कि महिला एवं पुरूष छात्रावास के अगल–बगल होने से सुरक्षा सम्बन्धी एवं अन्य परिस्थितियॉ उत्पन्न हो सकती हैं। अतः उक्त पुरूष छात्रावास को भी

महिला छात्रावास के रूप में परिवर्तित किया जाना उचित होगा। समग्र विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 07:—लखनऊ विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी संकाय में नवीन संविदा शिक्षकों के पदो के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेना।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी संकाय में नवीन संविदा शिक्षकों के पदो के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव पर वित्त समिति की सहमति की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 08:—लखनऊ विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार अध्ययन पीठ की स्थापना एवं नियमावली के अनुमोदन पर विचार कर निर्णय लेना।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 09:—लखनऊ विश्वविद्यालय के आई0एम0एस0 में संविदा शिक्षकों के पदो के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेना।

लखनऊ विश्वविद्यालय के आई0एम0एस0 में संविदा शिक्षकों के पदो के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव पर वित्त समिति की सहमति की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 10:—लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में संविदा शिक्षकों के पदो के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेना।

लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में संविदा शिक्षकों के पदो के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव पर वित्त समिति की सहमति की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 11:—कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत सुश्री शची राय, असिस्टेन्ट प्रोफेसर को जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय,नई दिल्ली से अर्थशास्त्र विषय में पी0एच0डी0 से सम्बन्धित शेष शोध कार्य पूर्ण करने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के संशोधित परिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सुश्री

राय को दिनांक 15.01.2020 से दिनांक 14.01.2021 तक अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) सम्बन्धी मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत पत्र परिषद के सम्मुख कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

प्रकरण पर सदन द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया तदोपरान्त लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के संशोधित परिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सुश्री राय को दिनांक 15.01.2020 से दिनांक 14.01.2021 तक अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 12:—परास्नातक (अर्थशास्त्र) विषय में ''श्री विद्या प्रकाश मेमोरियल छात्रवृत्ति'' प्रदान किये जाने पर विचार।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 13:—प्रवेश समिति की दिनांक 13.03.2020 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 13.03.2020 के कार्यवृत्त में निम्नांकित आंशिक संशोधन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया:—

- **पीएच0डी0 आर्डिनेन्स के अनुसार विश्वविद्यालय में पीएच0डी0 में प्रवेश लिये जाने एवं ऐसे शोध छात्र/छात्रा जिनका शोध पत्र निर्धारित अवधि में जमा नहीं हो पाया हैं, संबंधी प्रकरणों एवं पी0एच0डी0 प्रवेश में प्रस्तावित समिति साक्षात्कार पैनल ऑर्डिनेन्स से इतर होने के कारण उक्त प्रकरण यू0जी0सी0 के मानक एवं विश्वविद्यालय की परिनियमावली में गठित प्रक्रियानुसार निस्तारण हेतु निम्नवत त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया:—**

1. प्रो0 विभूति राय, भूगर्भ विज्ञान विभाग, सदस्य कार्य परिषद:— अध्यक्ष
2. प्रो0 सिराजुद्दीन, प्राणि विज्ञान विभाग सदस्य कार्य परिषद:— सदस्य
3. प्रो0 नन्द लाल भारती, लोकप्रशासन विभाग, सदस्य कार्य परिषद:— सदस्य

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तत्समय प्रस्तुत अन्य मद (02/2020)

विनिश्चय संख्या 01:–लखनऊ विश्वविद्यालय में Consultancy Policy का प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 02:–लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध से सम्बन्धित Ethical Guidelines का प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 03:–लखनऊ विश्वविद्यालय में Research Policy का प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 04:–कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो प्रो0 अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के पत्र सं0 आर0यू0/वी0सी0/2020/356–357 दिनांक 21.04.2020 के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के संशोधित परिनियम 15.19 एवं शासनादेश दिनांक 25.07.2018 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रो0 अनिल कुमार शुक्ला को दिनांक 25.04.2020 से तीन माह अथवा रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिये वेतनरहित असाधारण अवकाश विस्तारित करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 05:–प्रो0 मनोज दीक्षित, कुलपति डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के दिनांक रहित पत्र के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के संशोधित परिनियम 15.19 एवं शासनादेश दिनांक 25.07.2018 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रो0 मनोज दीक्षित, को दिनांक 27, मई 2020 से तीन माह अथवा डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या में नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिये

वेतनरहित विशेष अवकाश विस्तारित करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 06:—कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में कार्यरत श्री प्रेम चन्द्र सिंह यादव, एसोशिएट प्रोफेसर को विधि विषय में पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में शेष शोध कार्य पूर्ण करने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के संशोधित परिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार श्री यादव को दिनांक 19.02.2020 से दिनांक 30.04.2020 तक वेतन सहित अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव), विस्तारित करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 07:—कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत सुश्री ऊर्वशी सिरोही, असिस्टेन्ट प्रोफेसर को पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में शेष शोध कार्य पूर्ण करने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के संशोधित परिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार को दिनांक 22.07.2020 से एक वर्ष हेतु वेतन सहित अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) विस्तारित करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 08:—(अ) निम्नलिखित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम की अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2020–21 (मात्र 01 वर्ष) के लिये विस्तारित किये जाने संबंधी कार्यालय आदेश पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रकरण परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः—

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
1.	एच0एल0वाई0 डिग्री कालेज, उतरगांव, मोहनलाल गंज, लखनऊ।
2.	स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कालेज, स्नेह नगर, आलमबाग, लखनऊ।
3.	सिटी वोमेन्स कालेज, जानकीपुरम विस्तार, अलीगंज, लखनऊ।
4.	सत्यानन्द उच्च शिक्षा संस्थान, ग्राम नीवा, मेमौरा एयरवेस के सामने सरोजनी नगर, लखनऊ।
5.	यशराज इंस्टीट्यूट ऑफ एजेकेशन बाघामऊ, लखनऊ।
6.	टी0डी0एल0 कालेज ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट साइन्सेज,कासिमपुर बिरूआ, गोसाईगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।
7.	आई0टी0एम0 कालेज ऑफ एजुकेशन,मामपुरबाना, बक्शी का तालाब,लखनऊ
8.	आर्यकुल कालेज ऑफ एजूकेशन, नटकुर चन्द्रावल, सरोजनी नगर, लखनऊ।

मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ब) डॉ० एम०सी० सक्सेना कालेज आफ ऐजूकेशन, आई०आई०एम० रोड,लखनऊ को महाविद्यालय के प्रस्ताव दिनांक 07.05.2020 के क्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०एड० पाठयक्रम की अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2020–21 (मात्र 01 वर्ष) के लिये प्रदान किये जाने संबंधी कार्यालय आदेश पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रकरण परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 09:–स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट साइंसेज, कासिमपुर बिरुहा, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित एम०कॉम० (वाणिज्य) एवं बी०जे०एम०सी० पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.02.2018 के अन्य मद सं० 02(ब) पर लिये गये निर्णय के आलोक में अंकित शर्तो के अधीन समाप्त किये जाने संबंधी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 10:–श्री कृष्ण दत्त एकेडमी, रायबरेली रोड, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बी०सी०ए० पाठ्यक्रम की सहयुक्तता कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.02.2018 के अन्य मद सं० 02(ब) पर लिये गये निर्णय के आलोक में अंकित शर्तो के अधीन समाप्त किये जाने संबंधी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 11:–पं० दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ में संचालित एम०ए० अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की स्थायी सहयुक्तता सत्र 2020–21 से प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 12:—रजत कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट, लखनऊ को स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में एम0एड0 पाठ्यक्रम की स्थायी सहयुक्तता सत्र 2020—21 से प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 13:—एल0एन0 एकेडमी, रहटा, माल, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बी0कॉम0 पाठ्यक्रम की स्थायी सहयुक्तता स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2020—21 से प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 14:—रामा कान्वेन्ट महाविद्यालय, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बी0ए0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम की स्थायी सहयुक्तता स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2020—21 से प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 15:—एक्जान माण्टेसरी गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम की स्थायी सहयुक्तता स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2020—21 से प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 16:—लखनऊ विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त डॉ0 रमेश चन्द्र त्रिपाठी की जॉच आख्या/रिपोर्ट परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

डॉ0 रमेश चन्द्र त्रिपाठी के विरूद्ध गठित अनुशासनिक समिति की जॉच रिर्पोट सम्बन्धी सीलबन्द लिफाफा मा0 कार्य परिषद के सम्मुख खोला गया जॉच आख्या/रिपोर्ट को सचिव कार्य परिषद द्वारा सदन के समक्ष पढा गया, जॉच आख्या में डॉ0 रमेश चन्द्र त्रिपाठी के विरुद्व लगाये गये आरोप के सभी बिन्दुओं (बिन्दु 01 लगायत 10) पर गठित अनुशासनिक समिति द्वारा दी गयी जॉच आख्या निम्नवत हैं :–

"पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में डॉ0 रमेश चन्द्र त्रिपाठी की नियुक्ति को फर्जी अंकतालिका तथा विवरण के आधार पर कार्य परिषद द्वारा दिनांक 08.01.2010 के निर्णय द्वारा शून्य/दूषित/विकृत/निरस्त/रद्द **(Vitiated and stands nullified)** घोषित किया जा चुका हैं फलस्वरूप उक्त पद की सेवा समाप्त की जा चुकी हैं इसी बैठक में डॉ0 त्रिपाठी का प्रत्यावर्तन हिन्दी एवं आधुनिक भाषा विभाग में रीडर के पद पर कर दिया गया जबकि पत्रकारिता में स्थायीकरण दिनांक 22.09.2006 से हो गया था। फलस्वरुप इस पद का धारणाधिकार स्वतः समाप्त हो गया था औंर प्रत्यावर्तन द्वारा नियुक्ति का कोई प्राविधान अधिनियम/परिनियम में नहीं हैं। मा0 कुलाधिपति महोदय ने अपने उक्त आदेश में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दिया हैं कि जिसकी पुष्टि इस जॉच समिति के उक्त निष्कर्ष से की जाती हैं, इस प्रकार प्रश्नगत प्रत्यावर्तन मूल रुप शून्य/दूषित/विकृत/निरस्त/रद्द **(Vitiated and stands nullified)** हैं, तदनुसार डॉ0 त्रिपाठी दोषी हैं।"

समग्र विचारोपरान्त सदन में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा उक्त जॉच आख्या का व्यापक अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु एक समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। समिति के गठन हेतु मा0 कुलपति को अधिकृत किया गया। समिति से 03 माह के अन्तर्गत आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी।

विनिश्चय संख्या 17:—उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या : 226 / सत्तर—2—2020 —18(31) / 2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के क्रम में विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या व विभिन्न सहयुक्त महाविद्यालयों से किये गये विचार विमर्श के उपरान्त के उपरान्त शासन को प्रेषित पत्र संख्या : आर / 790 / 20, दिनांक 05.05.2020 परिषद के सम्मुख विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 18:—लखनऊ विश्वविद्यालय के व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग में प्रो0 आर0के0 माहेश्वरी एवं प्रो0 मधुरिमा के मध्य पारस्परिक ज्येष्ठता के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा—68 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 19.05.2020 के अनुक्रम में कुलसचिव कार्यालय का आदेश सं0 आर0 / 858 / 20 दिनांक 23.05.2020 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

प्रकरण पर सदन द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्य श्री अनिल सिंह एवं प्रो0 विभूति राय द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार के लिये प्रकरण मा0 कुलाधिपति महोदया को पुनः प्रेषित करने का निवेदन किया गया। परन्तु सदन द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त मा0 कुलाधिपति महोदया के आदेश दिनांक 19.05.2020 के अनुक्रम में कुलसचिव कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या आर / 858 / 20 दिनांक 23.05.2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तत्समय प्रस्तुत अन्य मद (02 / 2020)

विनिश्चय संख्या 01:—लखनऊ विश्वविद्यालय की सम्पन्न वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.05.2020 के कार्यवृत्त परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्पुष्टि की गयी।

विनिश्चय संख्या 02:—लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणि विज्ञान विभाग एवं अन्य विभागों में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 743 एस0बी0/2007 के अनुक्रम में पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 के आधार पर प्रथम अध्यादेश 11.24 (संशोधित) लागू करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में समस्त मा0 सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी। कुलसचिव/ सचिव कार्य परिषद द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि प्रकरण मा0 राजभवन को संदर्भित है एवं प्रतिउत्तर अपेक्षित हैं। मा0 कार्यपरिषद द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि मा0 राजभवन के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

विनिश्चय संख्या 03:—स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों में शैक्षिक पदों (संविदा) के सृजन पर विचार।

उक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति की सहमति की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 04:—लखनऊ विश्वविद्यालय के Vision and Mission के सम्बन्ध में चर्चा।

लखनऊ विश्वविद्यालय के Vision and Mission के संक्षिप्त सारांश से अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा सदन को अवगत कराया गया जिस पर समग्र विचारोपरान्त कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 05:— महात्मा गॉधी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पीठ की स्थापना संबन्धित नियमावली 2020 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

महात्मा गॉधी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पीठ की स्थापना संबन्धित नियमावली 2020 पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक के अन्त में माननीय न्यायमूर्ति श्री वी0के0 दीक्षित और प्रो0 एस0के0 द्विवेदी ने कहा कि कोविड–19 के चलते विषम परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा जिस कुशलता से नवोन्मेषी, अकादमिक व प्रशासनिक कार्य किया गया विशेष कर विश्वविद्यालय द्वारा जो **Community Kitchen** चलाया गया हैं, वह अत्यन्त प्रशसनीय हैं जिसके लिये मा0 कुलपति तथा विश्वविद्यालय प्रशासन कोटि–कोटि बधाई के पात्र है। इस कार्य में लगे हुये शिक्षकों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना चाहिये, जिस पर सर्वसम्मति से सदन द्वारा करतल ध्वनि से अभिनन्दन व्यक्त करते हुये उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

- परिषद के मा0 सदस्य श्री अनिल सिंह द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में पूर्व से वेतनमान पर चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत श्री कमलेश कुमार वर्मा एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद बाजपेयी के संवर्ग परिवर्तन के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये निर्णयों की भॉति कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। सम्यक विचारोपरान्त मा0 कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद ने कहा कि परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- मा0 कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की बैठक का कार्यवृत्त शीघ्र प्रेषित कर दिया जायेगा। जिस मा0 सदस्य को किसी बिन्दु पर बैठक में लिये गये निर्णय तथा कार्यवृत्त में उल्लिखित निष्कर्ष में असंगति प्रतीत होती है वो प्रेषण से तीन कार्य दिवसों में ईमेल अथवा अन्य माध्यम से सचिव कार्य परिषद को सूचित करने का कष्ट करेंगे। अन्यथा की स्थिति में कार्यवृत्त को अनुमोदित मान लिया जायेगा, जिससे बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन समय से किया जा सके। उक्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

डॉ0 विनोद कुमार सिंह
कुलसचिव/सचिव

प्रो0 आलोक कुमार राय
कुलपति/अध्यक्ष